न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 466 सन 2018
अनवान :–

1. रजीराम पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 10.01.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा टीडियासर के खाता संख्या 119/108/109 के खसरा न0 95/1.770हैक , खसरा न0 97/2 की 0.5660 ,97/329 की 1.0370 ,97/330 की 0.7590 ,110 की 1.770, 111 की 7.9420हैक व खसरा न0 112 की 1.0000 व खसरा न0 320 की 17.9320हैक कुल 35.7760हैक भूमि में राजेराम पुत्र कुरडाराम दर्ज है प्रार्थी का सही नाम रजीराम पुत्र कुरडाराम है यहि नाम अन्य दस्तावेजात में दर्ज है वादी अपना सही नाम रजीराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार नोहर से वादीया के वाद /नाम संशोधन के सम्बध मे रिपोर्ट /जबाब चाहा गया पेरोकार राज तहसीलदार नोहर ने रिपोर्ट पेश की रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 119/108 में दर्ज राजेराम की जगह रजीराम राज्यहक प्रभावित नही होता हो तो शुद्व किये जाने पर कोई आपत्ति नही है

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट आने पर शामिल मिसल की जाकर वकील वाद को सुना गया वकील वादी तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट है व उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाना चाहता है।

हमने पत्राबली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा टीडियासर के खाता संख्या 119/108/109 के खसरा न0 95/1.770हैक , खसरा न0 97/2 की 0.5660 ,97/329 की 1.0370 ,97/330 की 0.7590 ,110 की 1.770, 111 की 7.9420हैक व खसरा न0 112 की 1.0000 व खसरा न0 320 की 17.9320हैक कुल 35.7760हैक भूमि में राजेराम पुत्र कुरडाराम दर्ज है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , मतदाता फोटो पहवान पत्र , में प्रार्थी का नाम रजीराम दर्ज है व सरपंच ग्राम पंचायत टिडियासर की तस्दीक के अनुसार भी प्रार्थी का सही नाम रजीराम है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने पर राज्यहक प्रभावित नही होते है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक संशोधन होता है।

अतः तहसीलदार नोहर की अभिशषा/सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक /वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 119/108/019 में दर्ज कुल भूमि 35.7760है में वादी का नाम राजेराम पुत्र कुरडाराम दर्ज है के स्थान पर राजेराम उर्फ रजीराम पुत्र कुरडाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Sajjad

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official